

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 11/2024

रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/5

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम
बांसवाड़ा (राज)

श्री दीपक पाटीदार पुत्र श्री हिमेंग निवासी
202 पाटीदार बस्ती, घलकिया, बांसवाड़ा
(विक्रेता/ मालिक) मैसर्स माँ त्रिपुरा दूध
डेयरी, त्रिपति नगर, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 26-02-2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 01-01-2024 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 09-03-2023 को 12.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स माँ त्रिपुरा दूध डेयरी, त्रिपति नगर, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री दीपक पाटीदार पुत्र श्री हिमेंग उपस्थित थे। विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में त्रिपुरा दूध डेयरी, त्रिपति नगर, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर दुकान में एक एल्युमिनियम की केन में घी (लुज) 10 किलोग्राम विक्रय हेतु रखा था। उक्त घी (लुज) में मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए घी (लुज) एक किलोग्राम वास्ते नमुना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 600/- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा घी (लुज) खरीदशुदा को साफ सुखे एवं खाली बोतलो में बराबर बराबर मात्रा में भरकर एवं चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड क्रमांक W-1325 प्रत्येक नमूने पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनों पर गवाहो

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला मजिस्ट्रेट)


के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति या आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/388 दिनांक 24-07-2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 256 दिनांक 17-03-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया घी (लुज) का नमूना कोड क्रमांक **W-1325** Unsafe food under section 3(1)(zz)(iv)&(xi) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। श्री दीपक पाटीदार पुत्र हीमेंग व गवाहान की उपस्थिति में नमूने की पुनः जाँच रिपोर्ट के विरुद्ध विक्रेता द्वारा एफएसएसए की धारा 46 की उपधारा (4) के तहत पुनः जाँच हेतु रैफरल फुड लेब मैसुर भिजवाया गया। आरएफएल मैसुर की जाँच रिपोर्ट **474F/ FSSA/2023** दिनांक 08.08.2023 के तहत उक्त नमूना Substanderd food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा घी (लुज) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 02-01-2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 12-02-2024 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

आरएफएल मैसुर की जाँच रिपोर्ट **474F/ FSSA/2023** दिनांक 08.08.2023 के तहत उक्त नमूना घी (लुज) Substanderd food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है।


न्याय निर्दिष्ट अधिकारी
(अति. नि. नि. रजिस्टर)
बॉसवाडा (राज.)

ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया घी (लुज) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री दीपक पाटीदार पुत्र श्री हिमेंग निवासी 202 पाटीदार बस्ती, घलकिया, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स माँ त्रिपुरा दूध डेयरी, त्रिपति नगर, उदयपुर रोड, बांसवाडा को रूपये 5000/- (अक्षरे पाँच हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 26-02-2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)